संख्या: 22 /2020/507ई-2/तेरह-2021-13-02099/1/2021

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 मार्च, 2021

विषय: मेसर्स इण्डियन पोटाश लि. (डिस्टिलरी यूनिट), रोहाना कला, ग्राम बहेड़ी, पी.ओ. रोहाना मिल, ब्लाक-चरथावल, तहसील-सदर, जनपद-मुजफ्फरनगर में 65.3 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की शीरे पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-86/दो-प्रा.डी.-222, दिनांक 17.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स इण्डियन पोटाश लिमिटेड (डिस्टिलरी यूनिट), रोहानाकलां, ग्राम बहेड़ी, पी.ओ. रोहाना मिल, ब्लाक चरथावल, तहसील सदर, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा 65.3 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 228.55 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की शीरे पर आधारित आसवनी जिसके अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट/ई.एन.ए./एस.डी.एस. एवं 60 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 210 लाख लीटर प्रतिवर्ष अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से नियमानुसार इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in